बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–01/ए0जी0कोर्ट–16/18 45 /कृ०, पटना दिनांक,4-1-2019

सकारण आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–9080/2011 अरविन्द कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक–03.05.2016 का प्रवर्ती अंश निम्नवत् है :–

The entire punishment order dated 22.07.2006, which was assailed by the petitioner in the writ petition, has already been withdrawn. Once the punishment order has already been withdrawn, certainly the petitioner is entitled to get consequential benefit.

The court is in agreement with the submission of learned counsel for the petitioner. Accordingly, respondents are directed to take all steps to grant consequential benefits to the petitioner, which may be provided to the petitioner, preferably; within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order. The writ petition stands disposed of.

कृषि निदेशालय के आदेश ज्ञापांक–103 दिनांक–04.03.2016 के माध्यम से निदेशालय के पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक–1049 दिनांक–22.07.2006 को विलोपित कर दिया गया। तद्ोपरान्त कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय स्क्रींनिंग समिति की दिनांक–04.05.2018 को आहूत बैठक में श्री कुमार सेवा निवृत सहायक कृषि पदाधिकारी (रसायन), जिला कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर के ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के देयता पर विचार किया गया।

समिति के निर्णय के उपरान्त कृषि निदेशालय आदेश ज्ञापांक– 420 दिनांक– 04.05.2018 के द्वारा श्री कुमार को प्रथम ए०सी०पी० दिनांक– 09.08.1999 वेतनमान 6500–10500/– द्वितीय ए०सी०पी० दिनांक– 29.12.2002 वेतनमान 10,000–15,200/– तथा तृतीय एम०ए०सी०पी० दिनांक– 01.01.2009 पी०बी०– 3 ग्रेड पे –7600/– प्रदान किया गया जा चुका है।

बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि– 3 (रसायन) के अन्तर्गत वेतनमान 5000–8000/– में कार्यरत सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष कर्मियों को उसी कोटि के वर्ग– 2 वेतनमान 6500–10500/– में नियमित प्रोन्नति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में दिनांक– 22.12.2009 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की बैठक में श्री अरविन्द कुमार वरीयता क्रमांक–2, जन्म तिथि– 15.12.1949 तथा सेवा निवृति तिथि– 31.12.2009 के दावे पर विचार किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध अप्रत्यानुप्रातिक धनार्जन की जाँच मामला निगरानी विभाग में लंबित होने तथा तत्संबंधी कृषि निदेशालय आदेश संख्या– 1049 दिनांक– 22.07.2006 द्वारा विभागीय आरोप प्रभावी होने के कारण विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) में अयोग्य पाया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप को कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–103 दिनांक–04.03.2016 द्वारा विलोपित किया गया, जबकि श्री कुमार दिनांक– 31.12.2009 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त सहायक कृषि पदाधिकारी, रसायन, जिला कृषि कार्यालय, मुजफ्फरपुर, जो दिनांक– 31.12.2009 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, का दिनांक– 30.12.2009 के प्रभाव से प्रोन्नति के दावे पर विचार के क्रम में वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया, जो निम्नवत है:–

"प्रशासी विभाग को यह परामर्श दिया जा सकता है कि दिनांक 30.12.2009 को निर्गत अधिसूचना के आलोक में प्रोन्नत कनीय कर्मी का योगदान की तिथि यदि दिनांक 31.12.2009 तक है,

तो प्रशासी विभाग वादी को पदीय लाभ देने पर विचार कर सकता है। इस क्रम में इन्हें प्रोन्नति का आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे है।"

विभागीय अधिसूचना संख्या–8563 दिनांक 30.12.2009 के द्वारा श्री कुमार से कनीय पदाधिकारियों को पद ग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की गयी, जो विभागीय अधिसूचना संख्या–742 दिनांक 10.02.2010 के प्रभाव से नव प्रोन्नत पद पर पदस्थापित किये गये। स्पष्ट है कि कनीय पदाधिकारियों की प्रोन्नति एंव पदस्थापन से पूर्व श्री कुमार दिनांक 31.12.2009 को सेवानिवृत हो चुके थे। अतः श्री कुमार का दिनांक 30.12.2009 के प्रभाव से प्रोन्नति के दावे को अमान्य किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

पूर्व में निर्गत विभागीय सकारण आदेश संख्या–4300 दिनांक 18.12.2018 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

4.1.2019

(सुधीर कुमार)
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–01/ए0जी0कोर्ट–16/2018 45 /कृ0, पटना, दिनांक 04-01-2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना /अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.1.2019

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–01/ए0जी0कोर्ट–16/2018 45 /कृ0, पटना, दिनांक 04-01-2019

प्रतिलिपि :– संयुक्त निदेशक (शष्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/संयुक्त निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/ श्री अरविन्द कुमार, सेवानिवृत्त सहायक कृषि पदाधिकारी, रसायन, राहुल नगर, खबड़ा, मुजफ्फरपुर, पिन कोड–843146 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.1.2019

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–01/ए0जी0कोर्ट–16/2018 45 /कृ0, पटना, दिनांक 04-01-2019

प्रतिलिपि :– ए०ए०जी०–13, महाधिवक्ता कार्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।।

4.1.2019

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–01/ए0जी0कोर्ट–16/2018 45 /कृ0, पटना, दिनांक 04-01-2019

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4.1.2019

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।